आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3 (2)प्रमुवसं / कार्मिक / 2023 / 01376 4392 - 500 दिनांक : 29/8/23

निमित

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय :– मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति (पद कनिष्ठ सहायक) के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष में टंकण परीक्षा (अंग्रेजी / हिन्दी) उत्तीर्ण किये जाने का प्रावधान है। प्रायः यह देखा गया है कि कार्मिकों द्वारा नियुक्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में उक्त कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जा रही है और अधीनस्थ कार्यालयों से ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारियों को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कार्मिक विभाग से शिथिलन लिये जाने हेतु प्रकरण काफी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलन प्रदान किये जाने से पूर्व कर्मचारी की टंकण गति की जांच करने हेतु कार्मिक विभाग में बुलाया जा रहा है और टंकण गति संतोषजनक होने पर ही उन्हें टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। अतः कार्मिक विभाग द्वारा अपनाई जा रही उक्त प्रक्रिया से समय एवं धन का अपव्यय होता है तथा प्रक्रिया में देरी होने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों की समयावधि और अधिक बढ़ रही है।

कार्मिक (क–2) विभाग ने पत्रांक दिनांक 28.05.2018 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि "ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिन्होंने राज० मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 (ii) के अनुसार निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम दो अवसर, संबधित विभाग के प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जावेगा। किन्तु अवसर दिये जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह प्रथमतः मृतक आश्रित कर्मचारी की टंकण गति संतोषजनक पाये जाने की सुनिश्चितता करेंगे। तत्पश्चात दो अवसर दिये जाने के पश्चात भी यदि कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है, तो प्रकरण पूर्ण तथ्यों के साथ कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे ।"

कार्मिक (क–2) विभाग के पत्रांक दिनांक 28.05.2018 के अनुसरण में कार्मिकों के समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की शिथिलता की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रकरण प्रेषित किए जाने पर उनके द्वारा निम्न सूचनाऐं प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते है। अतः आप निम्न सूचनाओं सहित उपरोक्त विषयांकित प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक पत्राचार न हो।

1. कार्मिक (कनिष्ठ सहायक) को टंकण परीक्षा हेतु कितने अवसर प्रदान किए जा चुके है मय टंकण परीक्षा अंक तालिका के उपलब्ध करावे ?
2. कार्मिक (कनिष्ठ सहायक) के टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे ?
3. उक्त कार्मिक को वेतनवृद्धि दी जा रही है अथवा नहीं ?

भवदीय,

(राजीव चतुर्वेदी)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 3 (2)प्रमुवसं / कार्मिक / 2023 / 01376 दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rajiv Chaturvedi
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.08.28 17:06:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4611948